सा0 प्रशा0 / पैनों की खरीद / 2018–19 / 83–88 दिनांकः 07–05–2018

विषयः– पैनों की खरीद करने हेतू निविदा।

इस कार्यालय द्वारा पैनों (सैम्पल नमूना के साथ) की खरीद के लिफाफाबंद निविदायें आमन्त्रित की जाती है। फर्मो को ब्याना राशि (EMD) रू. 10000/– के बैंक ड्राफ्ट के साथ जोकि PAO कार्यालय महालेखाकार, लेखा व हकदारी, (हि.प्र.) शिमला में ही भुगतान हेतू देय होगा, के साथ निविदा प्रस्तुत करनी होगी।

शर्ते ओर प्रतिबंध

1. निविदा लिफाफाबंद होनी चाहिए तथा उस के ऊपर " पैनों की खरीद हेतू निविदा " अंकित होना चाहिए। निविदा दिनांक 21.05.2018 को सांय 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पहुॅच जानी चाहिये। इस उद्वेश्य के लिए गठित कमेटी के सामने ही निविदा खोली जायेगी।
2. विक्रेता को निविदा में अपना विक्रय कर संख्या और PAN No. आवश्यक तौर पर उल्लेखित करना होगा।
3. दरें तथा राशि दोनों संख्या ओर शब्दों में साफ–साफ अकिंत होनी चाहिये।
4. मद की दरें कार्यालय महालेखाकार हि.प्र. शिमला तक F.O.R सहित होनी चाहिए तथा सभी कर, शुल्क तथा पैकिंग शुल्क के साथ होनी चाहिये।
5. बिना बयाना राशि, निर्धारित तिथि एंव समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि (EMD), निविदा प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर फर्मों के लिखित निवेदन पर वापिस कर दी जायेगी।
7. विक्रय कर, स्थानीय कर, प्रवेश कर तथा चुगीं यदि कोई हो तो उसकी दरें साफ–साफ उल्लेखित होनी चाहिए अन्यथा इन्हें राशि में ही सम्मिलित माना जायेगा।
8. अनुमोदित नमूने या सैम्पल के अनुसार पैनों की आपूर्ति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
9. आपूर्ति आदेश के 15 दिनों के अन्दर ही मद की आपूर्ति करनी होगी। पैनों की आपूर्ति एक साथ ही करनी होगी। किश्तों में आपूर्ति मान्य नहीं होगी।
10. पैनों की आपूर्ति दिए गए समय में नहीं की जाती तो महालेखाकार (ले. व ह.) हि. प्र. शिमला को आपूर्ति आदेश रदद् करने का पूर्ण अधिकार होगा। यदि देरी से आपूर्ति करने पर खरीद के आदेश की कुल राशि के 0.05% प्रति सप्ताह की दर से दण्डात्मक अधिकतम 5% तक राशि काटी जायेगी।
11. महालेखाकार (ले. व ह.) हि. प्र. शिमला को किसी भी या सभी निविदाओं को बिना किसी कारण दिये रदद् करने का अधिकार होगा।

–हस्ता–
वरिष्ठ लेखा अधिकारी